राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार–कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

–: आवश्यक अस्थाई नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति :–

क्रमांकः– संस्था/चि.अ./ए.टी./प.24 पार्ट/10/1482 दिनांकः– 9/12/10

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन स्थापित चिकित्सा संस्थानों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 तक की अवधि के लिए अभ्यार्थियों को 16,800/–रू0 प्रतिमाह फिक्स वेतन पर चिकित्सा अधिकारी पूर्णतया अनुबंध के आधार पर शेष 88 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रत्येक सोमवार को निदेशक(जन स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अभ्यार्थियों के मूल वांछित दस्तावेज सहित वॉक–इन–इंटरव्यू आधार पर भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र के साथ प्रमाणित दस्तावेंज संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य महत्तवपूर्ण शर्ते विभाग की वेबवाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबवाईट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र सादा कागज पर टंकित कर भी प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :–

1. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (सैकण्डरी का प्रमाण पत्र)।
2. MBBS की सभी वर्षों की अंकतालिकाऐं।
3. 1 जनवरी 2011 को अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यार्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।
4. जाति प्रमाण पत्र संलगन करना आवश्यक है। पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों का सक्षम अधिकारी द्वारा क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र जो 06 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, संलग्न करना आवश्यक है।
5. विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हो तो)।
6. दिनांक 01/06/02 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा (कुल जीवित संतानों का शपथ पत्र (जन्म तिथि सहित)।
7. राजस्थान मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
8. MBBS डिग्री की प्रति।
9. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो)।
10. PG डिग्री की प्रति। (यदि हो तो)

नोट :–

1. वर्तमान में किसी विभाग में पदस्थापित हैं तो उस विभाग/संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के अधीन किसी भी संस्थान में कार्यरत है तो उसका विवरण।
2. आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साईज फोटो (06 माह से अधिक पुराना न हो) फोटो पर अभ्यार्थी के हस्ताक्षर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3. अनुबन्ध की शर्ते राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की दिशा निर्देशों के अनुसार मान्य होगा।
4. नियुक्ति कि निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थि उपलब्ध होने पर इसके पश्चात आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगे। यह नियुक्ति अस्थाई है। अतः अभ्यार्थी स्थाई नियुक्ति का दावा करने का पात्र नही होगा।
5. आवेदनकर्ता अभ्यार्थी को सुझाव दिया जाता है कि जब भी राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो अपना आवेदन करें।
6. आवेदन पत्र का प्रारूप चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।